(म संख्या 562

(कार्या)लय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

अरसद खान ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

नन्हे खान ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....157..........................सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक अरशद खान पिता मो० नसीरूउद्दीन, साकिन–हेसला, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा–हेसला, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0–06, प्लॉट सं0–418, रकवा–57 डी0 मध्ये 12.25 डी0, चौहद्दीः उ0–द्वितीय पक्ष का मकान, द0–रास्ता, पू0–प्रथम पक्ष, प0–परती वो नसीरूद्दीन खान में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर से मांगे। अभिलेख दिनांक....14/12/22....को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

क्र० सं० .र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27/12/22	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी सरिया के ज्ञापांक सं0 4110/22 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 12/01/23 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 12/01/23 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/2/23	**आदेश** प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा उभय पक्षों से कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- हेसला, थाना- बगोदर में स्थित खाता- 06, प्लाट- 418 रकबा 57 डी. मध्ये 22.25 उनके पूर्वजों के नाम से खतियानी भूमि है तथा 8 डी. भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं०- 8501, दिनांक- 24.06.2008 के माध्यम से हासिल है। उक्त भूमि के कुछ भाग में प्रथम पक्ष का मकान भी निर्मित है। द्वितीय पक्ष शेष खाली जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि खाता- 06, प्लाट- 418, रकबा- 8 डी. एवं अन्य प्लाट सहित कुल रकबा- 28 डी. जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अंचल अधिकारी, बगोदर	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

द्वारा निर्गत है।

प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसीद सं0- 0433771570 दिनांक- 22.06.22 की छाया प्रति, LPC क्रम सं0- 5, दिनांक -18-01-19 की छाया प्रति, निबंधित विक्रय पत्र, दिनांक- 24.06.08 की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी, बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार- "जाँच के क्रम में पाया कि 57 डी. के रकबे कुछ भाग पर द्वितीय पक्ष बालचरन मिस्त्री लेबर लेकर प्रथम पक्ष के दो मंजिला मकान के बगल से दिवाल खड़ा कर रहा है।"

द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया, यद्यपि न्यायालय में द्वितीय पक्ष उपस्थित भी हुये थे।

उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में स्थिर घोषित

...की क्र० सं० ...और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ। उक्त आदेश द.प्र.स. की धारा 144(4) के अंतर्गत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 24/2/23 SDM Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.03.25 15:12:41 +05:30
Location: 192.168.1.7